



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



केमाशिबो/शैक्ष./ए.प्रो.एवं अ. निदे.(अ.छा.)/2026

दिनांक: 08.06.2026

परिपत्र संख्या: शैक्ष-39/2026

केमाशिबो से संबद्ध सभी विद्यालय के प्रमुख

विषय: विद्यालयों में साइबर अपराध की जागरूकता के संबंध में।

गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर हाइजीन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है।

जबकि वित्तीय साइबर धोखाधड़ी लगातार एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, वहीं बच्चों को निशाना बनाने वाले अपराध जैसे ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन उत्पीड़न तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल मंचों पर बच्चों की बढ़ती सहभागिता और ऑनलाइन जोखिमों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए, उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से युक्त करना अत्यंत आवश्यक है।

विद्यालय इस प्रयास में अहम भूमिका निभाते हैं; वे साइबर जागरूकता को बढ़ावा देते हैं, जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं और विद्यार्थियों को आम साइबर खतरों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में शिक्षित करते हैं।

इस पहल के तहत, आपसे निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित करने का अनुरोध किया जाता है:

1. साइबर हाइजीन सर्टिफिकेट कोर्स

I4C ने एक संक्षिप्त (2.5 घंटे का) साइबर हाइजीन सर्टिफिकेट कोर्स तैयार किया है, जो वेबसाइट <https://i4c.mha.gov.in> के होम पेज पर उपलब्ध है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को यह कोर्स करने के लिए प्रोत्साहित करें।

2. साइबर सुरक्षा प्रतिज्ञा

विद्यालय विद्यार्थियों के बीच साइबर सुरक्षा प्रतिज्ञा (pledge) वितरित करें, जिस पर अभिभावकों के हस्ताक्षर लिए जाएं और जिसे विद्यालय में प्रस्तुत किया जाए। यह प्रतिज्ञा सुरक्षित ऑनलाइन पद्धतियों, सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग और साइबर हाइजीन पर केंद्रित है। प्रतिज्ञा पत्र इसके साथ संलग्नक में उपलब्ध है।

3. अभिभावक पोर्टल पर साइबर जागरूकता संबंधी सलाह का प्रदर्शन

- गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई साइबर अपराध जागरूकता कॉमिक बुक जो <https://i4c.mha.gov.in/awareness.aspx> पर उपलब्ध है, को साइबर अपराध जागरूकता मुद्रित करने योग्य सामग्री के तहत डाउनलोड किया जाए और पढ़ा जाए।
- ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए, सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों को किसी भी प्रमुख सोशल मीडिया मंच पर गृह मंत्रालय (MHA) के सोशल मीडिया हैंडल "CYBERDOST" को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करें।



‘एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर - 23, द्वारका, नई दिल्ली - 110075’
‘Integrated Office Complex, Sector - 23, Dwarka, New Delhi - 110075’





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION



(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)

- विद्यार्थी और अभिभावक <https://i4c.mha.gov.in> वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध 2.5 घंटे का ऑनलाइन साइबर हाइजीन कोर्स करें।
- विद्यार्थी और अभिभावक <https://i4c.mha.gov.in> वेबसाइट के होमपेज से जुड़े साइबर अवेयरनेस "सांप-सीढ़ी" खेल को डाउनलोड करके खेलें।

4. साइबर क्लब का गठन

विद्यालयों को नियमित रूप से संरचित साइबर जागरूकता गतिविधियाँ संचालित करने हेतु साइबर क्लब स्थापित करने की सलाह दी जाती है। विद्यालय प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को "साइबर जागरूकता दिवस" के रूप में मनाते हुए भाषण, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता, शपथ ग्रहण, वाद-विवाद तथा जागरूकता सत्र जैसी मासिक गतिविधियों का आयोजन करें।

5. विद्यालयी गतिविधियों के साथ एकीकरण

विद्यालय साइबर जागरूकता गतिविधियों को वार्षिक कार्यक्रमों, अभिभावक-शिक्षक संवादों तथा विशेष अभियानों के साथ शामिल करके इनके व्यापक प्रसार और प्रभाव को सुनिश्चित करें।

6. आईईसी (सूचना, शिक्षा एवं संचार) सामग्री का प्रसार

विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे I4C द्वारा विकसित साइबर सुरक्षा संबंधी परामर्श, पोस्टर, वीडियो, पुस्तिकाएँ तथा बहुभाषी आईईसी सामग्री का व्यापक रूप से प्रसार करें। इसके लिए विद्यालय अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया मंचों, डिजिटल सूचना पट्टों, मोबाइल अनुप्रयोगों, समाचार-पत्रिकाएँ (न्यूज़लेटर्स) तथा अन्य संचार माध्यमों का उपयोग करें। यह समस्त सामग्री I4C की <https://i4c.mha.gov.in/awareness.aspx> वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध है।

आपसे अनुरोध है कि विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के बीच साइबर जागरूकता तथा साइबर हाइजीन को बढ़ावा देने हेतु इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल में सक्रिय रूप से भाग लें।

शुभकामनाओं सहित,

(डॉ. प्रज्ञा एम. सिंह)
प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक)



'एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर - 23, द्वारका, नई दिल्ली - 110075'
'Integrated Office Complex, Sector - 23, Dwarka, New Delhi - 110075'





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION



(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)

निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के संबंधित प्रमुखों को यह अनुरोध करते हुए प्रति भेजी जा रही है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों तक यह जानकारी पहुँचाए:-

1. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-16
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309
3. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
4. सचिव, सैनिक विद्यालय सोसायटी, कमरा सं. 101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110001
5. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, एन-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, डाकघर सैनिक विद्यालय, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा-751005
6. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
7. जन अनुदेश निदेशक (विद्यालय), संघ राज्य क्षेत्र, सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017
8. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
9. विद्यालय शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
10. शिक्षा निदेशक, सरकार एंड एन द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर-744101
11. विद्यालय शिक्षा निदेशक, लद्दाख, कमरा नंबर 101-102, भूतल, काउंसिल सचिवालय, कुरबाथांग, कारगिल – लद्दाख
12. विद्यालय शिक्षा निदेशक, आंध्र प्रदेश, तीसरा तल, बी ब्लॉक, अंजनेय टावर्स, वीटीपीएस रोड, भीमाराजू गुट्टा, इब्राहिमपटनम, आंध्र प्रदेश – 521456
13. निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, पुराना एचईसी हाई विद्यालय, जेएससीए स्टेडियम रोड, जगन्नाथपुर, सेक्टर-III, धुर्वा, रांची-834004 (झारखंड)
14. नेवी एजुकेशन सोसाइटी, नौसेना शिक्षा निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लॉक-वी, आरके पुरम, नई दिल्ली-110066
15. अपर महानिदेशक नौ सेना, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू पीओ, नई दिल्ली-110001
16. सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी भवन संख्या 202, शंकर विहार (एपीएस के पास), दिल्ली कैंट-110010
17. अध्यक्ष, केमाशिबो के उप सचिव
18. सचिव/परीक्षा नियंत्रक/सभी निदेशक, केमाशिबो
19. सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी केमाशिबो, इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रमुखों को भेजें
20. सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/प्रधाननिजी सचिव/वरिष्ठ निजी सचिव/अवर सचिव/सहायक सचिव
21. सभी प्रमुख/प्रभारी, केमाशिबो उत्कृष्टता केंद्र, केमाशिबो
22. प्रभारी आईटी इकाई, इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को केमाशिबो की शैक्षणिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
23. प्रभारी, पुस्तकालय
24. रिकॉर्ड फ़ाइल

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक)



‘एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर - 23, द्वारका, नई दिल्ली - 110075’
‘Integrated Office Complex, Sector - 23, Dwarka, New Delhi - 110075’





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



CBSE/ACAD/AP&AD(AC)/2026

Date: 08.06.2026

Circular No: Acad-39/2026

All the Heads of Schools affiliated to CBSE

Subject: Cybercrime Awareness in Schools - reg.

The Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) under the Ministry of Home Affairs has initiated a nationwide campaign to strengthen cybercrime awareness and promote cyber hygiene practices among students, teachers, and parents.

While financial cyber frauds continue to pose significant challenges, crimes targeting children including online grooming, cyberbullying, identity theft, and online harassment, are becoming increasingly prevalent. Given children's growing engagement with digital platforms and their susceptibility to online risks, it is essential to equip them with the knowledge and skills required to navigate the digital world safely.

Schools play a crucial role in this effort by fostering cyber awareness, promoting responsible online behaviour, and educating students about common cyber threats and preventive measures.

As part of this initiative, you are requested to undertake the following activities:

1. Cyber Hygiene Certificate Course

I4C has created a short (2.5 hrs) cyber hygiene certificate course which is available on the home page of I4C website <https://i4c.mha.gov.in> Students, teachers and parents may be encouraged to undergo the course.

2. Cyber Safety Pledge

Schools may circulate a Cyber Safety Pledge among students for signature by parents and submission to the school. The pledge may focus on safe online practices, responsible social media use and cyber hygiene. The pledge is enclosed as Annexure.

3. Display of Cyber Awareness Advisory on Parent Portals

- A cybercrime awareness comic book for children, prepared by the Ministry of Home Affairs (MHA) can be downloaded and read at <https://i4c.mha.gov.in/awareness.aspx> under cybercrime awareness printable material.
- To stay safe online, all parents and students should follow the Ministry of Home Affairs (MHA) Social Media Handle "CYBERDOST" on any prominent social media platform.
- Students and parents should undergo the 2.5 hr online cyber hygiene course available on the homepage of website <https://i4c.mha.gov.in>

Students and parents may download and play the Cyber Awareness "Snake & Ladder" game linked to the homepage of website <https://i4c.mha.gov.in>



'एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर - 23, द्वारका, नई दिल्ली - 110075'
'Integrated Office Complex, Sector - 23, Dwarka, New Delhi - 110075'





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



4. Formation of Cyber Clubs

Schools are advised to establish Cyber Clubs to conduct structured cyber awareness activities regularly. Schools may organize monthly activities such as speeches, quizzes, poster-making competitions, pledge drives, debates, and awareness sessions on the first Wednesday of every month observed as "Cyber Jagrookta Diwas"

5. Integration with School Activities

Schools may further integrate cyber awareness activities into annual events, parent, teacher interactions, and special campaigns for wider outreach.

6. Dissemination of IEC Material

Schools are encouraged to widely disseminate cyber safety advisories, posters, videos, booklets, and multilingual IEC material developed by I4C through school websites, social media platforms, digital notice boards, mobile applications, newsletters, and other communication channels. All these materials are freely available on the I4C Website on <https://i4c.mha.gov.in/awareness.aspx>

You are requested to actively participate in this important national initiative in promoting cyber awareness and cyber hygiene among students, teachers, and parents.

With best wishes,

(Dr. Praggya M. Singh)
Professor & Director (Academics)



'एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर - 23, द्वारका, नई दिल्ली - 110075'
'Integrated Office Complex, Sector - 23, Dwarka, New Delhi - 110075'





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION



(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)

Copy to the respective Heads of Directorates, Organisations and Institutions with a request to disseminate the information to all the schools under their jurisdiction:

1. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18 Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-16
2. The Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, B-15, Sector-62, Institutional Area, Noida-201309
3. The Secretary, Eklavya Model Residential Schools (EMRS), Ministry of Tribal Affairs, Government of India.
4. The Secretary, Sainik Schools Society, Room No. 101, D-1 Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110001
5. The Chairman, Odisha Adarsha Vidyalaya Sangathan, N-1/9, Near Doordarshan Kendra, PO Sainik School Nayapalli, Bhubaneswar, Odisha-751005
6. The Director of Education, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi-110054
7. The Director of Public Instructions (Schools), Union Territory Secretariat, Sector 9, Chandigarh-160017
8. The Director of Education, Govt. of Sikkim, Gangtok, Sikkim –737101
9. The Director of School Education, Govt. of Arunachal Pradesh, Itanagar –791111
10. The Director of Education, Govt. of A&N Islands, Port Blair – 744101
11. The Director of School Education, Ladakh, Room No.101-102, Ground Floor, Council Secretariat, Kurbathang, Kargil – Ladakh
12. The Director of School Education, Andhra Pradesh, 3rd Floor, B block, Anjaneya Towers, VTPS Rd, Bhimaraju Gutta, Ibrahimpatnam, Andhra Pradesh – 521 456
13. The Director, Jharkhand Education Project Council, Old HEC High School, JSCA Stadium Road, Jagannathpur, Sector-III, Dhurwa, Ranchi-834004 (Jharkhand)
14. Navy Education Society, Dte of Naval Education, Naval Headquarters, Ministry of Defence, West Block-V, RK Puram, New Delhi-110066
15. The Additional Director General of Army Education, A –Wing, Sena Bhawan, DHQ, PO, New Delhi-110001
16. The Secretary AWES, Integrated Headquarters of MoD (Army), FDRC Building No. 202, Shankar Vihar (Near APS), Delhi Cantt-110010
17. DS to Chairperson, CBSE
18. Secretary/ Controller of Examinations/ All Directors, CBSE
19. All Regional Directors/ Regional Officers of CBSE with the request to send this circular to all the Heads of the affiliated schools of the Board in their respective regions
20. All Joint Secretary/ Deputy Secretary/ PPS/SPS/Under Secretary/ Assistant Secretary, CBSE
21. All Head(s)/ In-Charge(s), Centre of Excellence, CBSE
22. In charge IT Unit with the request to put this Circular on the CBSE Academic Website
23. In-Charge, Library
24. Record File

Professor & Director (Academics)



‘एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर - 23, द्वारका, नई दिल्ली - 110075’
‘Integrated Office Complex, Sector - 23, Dwarka, New Delhi - 110075’



PLEDGE

English

Main shapath leta/leti hoon ki:

- Main mobile app hamesha official website ya Play Store se hi install karunga/karungi.
- Main social media groups ya vigyapanon par bina soche bharosa nahin karunga/karungi.
- Main anjaane numbers se aane wale calls par aankh band karke bharosa nahin karunga/karungi.
- Main digital suraksha ke liye "Stop.Think.Then Take Action. is siddhant ka hamesha palan karunga/karungi.
- Main Grih Mantralaya ke social media handle "Cyberdost" ko aaj aur abhi follow karunga/karungi.

Hindi

मैं शपथ लेता/लेती हूँ कि :

- मैं मोबाइल ऐप हमेशा ऑफिसियल वेबसाइट या प्ले स्टोर से ही इनस्टॉल करूँगा/ करूँगी
- मैं सोशल मीडिया ग्रुप्स या विज्ञापनों पर बिना सोचे भरोसा नहीं करूँगा/ करूँगी
- मैं अनजाने नंबरों से आने वाले कॉल्स पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करूँगा/करूँगी।
- मैं डिजिटल सुरक्षा के लिए "Stop.Think.Then Take Action. " - इस सिद्धांत का हमेशा पालन करूँगा
- मैं गृह मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल 'Cyberdost' को आज और अभी फॉलो करूँगा/करूँगी।